

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/2834 जयपुर,दिनांक: ~~24.06.18~~
25.6.18

:: आ दे श ::

श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद, जिला बारां अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2018 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध जिला परिषद बारां में सोलर लाईट वसूली के तहत 17 सीसीए में कार्यवाही हेतु आरोप पत्र संख्या 2717-29 दिनांक 28.06.2016 जारी किया हुआ है।

आज्ञा से,


(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद (बारां) ।
5. श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति शाहबाद, जिला बारां
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त